उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन – 1800 890 9715

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड

85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135–2742884 ई–मेल– cwlw-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 716 /15-1 देहरादून, दिनांकः– 21/9/2024

सेवा में,

निदेशक,
कॉर्बेट टाईगर रिजर्व,
रामनगर।

विषयः– कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक संशोधित दिशा–निर्देश।

सेवा में,

कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में वर्तमान में ईको पर्यटन हेतु 08 जोन संचालित हैं। इन सभी में पर्यटकों को वाहनों में निर्धारित मार्गों पर विचरण हेतु एक सीमित संख्या के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। पर्यटकों की सुरक्षा तथा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि इस हेतु न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण करने वाले वाहनों तथा इसी प्रकार प्रशिक्षित एवं चयनित वाहन चालक एवं गाईडों को इन क्षेत्रों में प्रवेश दिया जाये। वर्तमान में इनमें से 6 पर्यटन जोन (ढेला, झिरना, गर्जिया, बिजरानी, ढिकाला एवं दुर्गादेवी) हेतु पंजीकरण निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर तथा अन्य 02 पर्यटन जोन (पाखरौ एवं सोनानदी) का पंजीकरण प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ वन प्रभाग, लैन्सडौन द्वारा किया जाता है।

इस क्रम में कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में समय–समय पर जोड़े गये नये ईको पर्यटन क्षेत्रों की संख्या तथा इस विषय में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के प्राविधानों, विभिन्न मा0 न्यायालयों द्वारा समय–समय पर इस विषयक दिये गये आदेशों, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के निर्देशों तथा पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये आदेशों की विस्तृत समीक्षा के उपरांत कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक संशोधित दिशा–निर्देश एतद् द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इस विषय में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त आदेश एतद्द्वारा अतिक्रमित माने जायेंगे।

यदि इन आदेशों के विषय में किसी संबंधित व्यक्ति को कोई कठिनाई हो तो वह इस विषय में एक तथ्यात्मक प्रत्यावेदन निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। यह तथ्यात्मक प्रत्यावेदन निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के कार्यालय में इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिनों के अंतर्गत प्राप्त हो जाने चाहिए।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,
21/9/24
(डा0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक संशोधित दिशा–निर्देश

कार्बेट टाइगर रिजर्व के विभिन्न पर्यटन जोन में पर्यटकों को वन क्षेत्र में भ्रमण हेतु पार्क प्रशासन द्वारा पंजीकृत व्यवसायिक वाहन ले जाना अनिवार्य है। इस प्रयोजन हेतु वाहनों का पंजीकरण करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था दी जा रही है। यह निर्देश पूर्व में जारी किये गये सभी निर्देशों को अतिकमित करते हैं।

सामान्य दिशा–निर्देश

1. पर्यटन हेतु व्यवसायिक वाहनों का पंजीकरण निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा प्रत्येक पर्यटन सत्र (प्रत्येक वर्ष 15 नवम्बर से अगले वर्ष 14 नवम्बर तक) हेतु चयनित अर्ह वाहन स्वामी के नाम पर किया जायेगा।
2. पंजीकरण हेतु स्थायी परमिट धारकों को वरीयता दी जायेगी।
3. पंजीकरण हेतु केवल उन्हीं वाहनों के आवेदन पर विचार किया जायेगा, जिनके पंजीकृत वाहन स्वामी के पास पास वाहन स्वामी अथवा वाहन चालक के रूप में कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन संचालन का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होगा।
4. प्रत्येक वाहन के साथ कम से कम 02 वाहन चालकों का भी पंजीकरण कराया जायेगा, जिनमें से कम से कम 01 वाहन चालक को कार्बेट टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहन के चलाने का 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। नये वाहन चालकों के पंजीकरण में महिला वाहन चालकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. कार्बेट टाइगर रिजर्व के 6 पर्यटन जोन (ढेला, झिरना, गर्जिया, बिजरानी, ढिकाला एवं दुर्गादेवी) हेतु पंजीकरण निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर के कार्यालय तथा अन्य 02 पर्यटन जोन (पाखरौ एवं सोनानदी) का पंजीकरण प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ वन प्रभाग, लैन्सडौन द्वारा किया जायेगा।
6. पर्यटन सत्र में किये जाने वाले पर्यटन वाहन पंजीकरण की अधिकतम सीमा प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी।
7. उपरोक्त निर्धारित सीमा के अनुरुप वाहनों का पंजीकरण निम्नलिखित श्रेणीयों के अनुसार, क्रमबद्व तरीके से किया जायेगा। यदि किसी श्रेणी में अधिकतम निर्धारित सीमा अधिक वैध आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उक्त श्रेणी हेतु प्राप्त वैध आवेदन पत्रों के मध्य चयन हेतु पूर्ण पारदर्शिता लाने के उददेश्य से अर्ह वाहनों का निर्धारण लॉटरी के द्वारा किया जायेगा। यदि श्रेणी में अधिकतम सीमा से कम वैध आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो सभी वैध एवं पात्र आवेदन पत्रों का पंजीकरण कर बाकी बची सीमा हेतु अगली श्रेणी में आवेदन करने वाले वाहनों के संबंध में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह प्रकिया अधिकतम निर्धारित वाहन संख्या प्राप्त होने तक चलायी जायेगी।

21/9/24

खुली श्रेणी

i. **प्रथम श्रेणी**—इस श्रेणी में ऐसे स्थायी परमिट धारकों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, जो कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में पिछले 8 अथवा अधिक वर्षों से पंजीकृत हैं, तथा जिनके विरुद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है। इस हेतु उन वाहनों को चयनित किया जायेगा, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक न हो।

इस श्रेणी में यदि कोई आवेदनकर्ता जो समस्त अन्य शर्तों को पूर्ण करता है परंतु उसका वाहन आवेदन की तिथि पर 15 वर्षों से पूर्व का है, का आवेदन प्राप्त होता है, तो ऐसे आवेदनकर्ता को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए 03 माह का अस्थाई पंजीकरण दिया जायेगा। ऐसे वाहन स्वामियों को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत 15 वर्ष से कम आयु का वाहन संचालन हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर 03 माह पश्चात उनका पंजीकरण स्वतः निरस्त कर उनका नाम इस श्रेणी से हटा दिया जायेगा।

ii. **द्वितीय श्रेणी** – प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत अधिकतम सीमा के अनुसार वाहन उपलब्ध न होने पर द्वितीय श्रेणी के वाहनों को चयन हेतु लिया जायेगा। इस श्रेणी में ऐसे स्थायी परमिट धारकों के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, जो कि कार्वेट टाइगर रिजर्व में न्यूनतम 5 वर्षों से पंजीकृत हैं, तथा जिनके विरुद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी हो। इस हेतु उन वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके वाहन 15 वर्ष से ज्यादा पुराने न हो।

iii. इस श्रेणी में यदि कोई आवेदनकर्ता जो समस्त अन्य शर्तों को पूर्ण करता है परंतु उसका वाहन आवेदन की तिथि पर 15 वर्षों से पूर्व का है, का आवेदन प्राप्त होता है, तो ऐसे आवेदनकर्ता को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए 03 माह का अस्थाई पंजीकरण दिया जायेगा। ऐसे वाहन स्वामियों को निर्धारित सीमा के अन्तर्गत 15 वर्ष से कम आयु का वाहन संचालन हेतु प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर 03 माह पश्चात उनका पंजीकरण स्वतः निरस्त कर उनका नाम इस श्रेणी से हटा दिया जायेगा।

iv. **तृतीय श्रेणी** –यदि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरुप वाहन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं तो उन सभी आवेदनकर्ताओं को आवेदन हेतु मौका दिया जायेगा, जिनके पास 15 वर्ष से पुराना वाहन न हो तथा जिनके पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन संचालन हेतु स्थाई परमिट हो। साथ ही वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी हो। इस श्रेणी के निर्धारण में मा0 वन मंत्री जी के पत्र संख्या 179/मंत्री/वी0आई0पी0/2024 दिनांक 29.05.2024 द्वारा निर्गत उक्त विषयक आदेश का पूर्णतयाः अनुपालन किया जायेगा।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वाहनों का पंजीकरण करने के उपरांत निर्धारित सीमा से शेष बची संख्या से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर उनका निर्धारण चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु खुली लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

21/9/24

विशेष श्रेणी (ईको विकास समिति)

कार्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे ग्रामों के बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत ई0डी0सी0 के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण किया जायेगा। इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा पृथक से किया जायेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि उक्त वाहन का स्वामित्व एवं दो में से कम से कम एक वाहन चालक ई0डी0सी0 ग्रामों में निवासरत ग्रामीण हो। इसकी पुष्टि हेतु निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व अपने स्तर से यथोचित जांच कर सकते हैं तथा इस विषय में उनका निर्णय अंतिम होगा। निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व विभिन्न ईको विकास समितियों में समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी एक ई0डी0सी0 द्वारा संचालित किये जाने वाले वाहनों की अधिकतम सीमा भी अपने स्तर से आवश्यकतानुसार निर्धारित कर सकते हैं।

निर्धारित सीमा से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर वाहनों का पंजीकरण, चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

विशेष श्रेणी (महिला उद्यमी)

राज्य में महिलाओं को ईको पर्यटन के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार की पहल के अन्तर्गत इस श्रेणी के अन्तर्गत उन वाहन को पंजीकरण हेतु लिया जायेगा, जिनमें वाहन का स्वामित्व एवं संचालन कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा चयनित महिला पर्यटन उद्यमियों द्वारा किया जायेगा।

इस हेतु ऐसी महिलाओं का चयन किया जायेगा जो निम्न अर्हताएं पूर्ण करती हों –

1. वाहन का स्वामित्व एवं संचालन केवल महिलाओं द्वारा किया जायेगा।
2. संचालन हेतु प्रस्तुत वाहन 15 वर्ष से कम आयु का हो तथा इस क्षेत्र में संचालन हेतु वाहन द्वारा अन्य समस्त निर्धारित मानकों को पूरा किया जाता हो।
3. वाहन स्वामी द्वारा कॉर्बेट टाईगर रिजर्व से इस आशय का विशिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया हो।

   इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने वाले वाहनों की संख्या का निर्धारण इस कार्यालय द्वारा पृथक से किया जायेगा।

   श्रेणी के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इनका चयन भी पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

<u>पंजीकरण हेतु अर्ह वाहनों/चालकों हेतु मापदण्ड</u>

1. वाहनों के लिए उत्सर्जक मानकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

- पंजीकरण हेतु भारत स्टेज 4 (यूरो 4) उत्सर्जक मानकों के अनुरूप आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- भविष्य में नये वाहनों की उपलब्धता होने पर इस हेतु नवीनतम उत्सर्जक मानकों के अनुसार वाहनों को प्राथमिकता पर पंजीकृत किया जायेगा।

2. पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले वाहनों में निम्न अभिलेख आवश्यक होंगे, जो कि पंजीकरण हेतु मान्य पूरे सत्र हेतु वैध होने चाहिए :–

   (i) वाहन का उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत वैध पंजीकरण तथा ट्रांसपोर्ट विभाग का वैध व्यावसायिक परमिट अनिवार्य होगा।

   (ii) वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

   (iii) वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

   उपरोक्त सभी अभिलेख कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में संचालन के समय वैध होने चाहिए, जिसके अनुपालन का पूर्ण दायित्व संबंधित वाहन स्वामी एवं ड्राईवर का होगा। यदि किसी भी समय यह संज्ञान में आता है कि बिना वैध प्रमाण पत्रों के कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में किसी भी वाहन का संचालन किया गया तो ऐसे वाहन स्वामी एवं ड्राईवर के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3. आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा। यदि कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में पंजीकरण की अवधि के दौरान वाहन स्वामी अथवा ड्राईवर के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य प्रकाश में आता है तथा/अथवा ऐसा कोई भी अभियोग मा0 न्यायालय अथवा सिविल/राजस्व पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित वाहन स्वामी इसकी जानकारी विलंबतम 72 घण्टे में निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. वाहन का सॉफ्ट टॉप तथा 4 व्हील ड्राइव होना अनिवार्य है।
5. वाहन का निर्धारित रंग (ऑलिव ग्रीन) होना चाहिए।
6. पंजीकरण हेतु चालकों के पास वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है। पंजीकृत वाहन चालको के अतिरिक्त किसी अन्य को कार्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन जोन में उक्त वाहन को चलाने की अनुमति नहीं होगी। यदि इस तरह का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो उस वाहन की वैधता पूरे सत्र के लिए निरस्त कर दी जायेगी।
7. प्रत्येक वाहन में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य होगा।
8. पंजीकृत चालकों को कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा संचालित फर्स्ट एड तथा अन्य प्रशिक्षणों में भाग लेना तथा उन्हे सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

21/9/24

9. यह वाहन स्वामी का पूर्ण दायित्व होगा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व के पर्यटन जोन में प्रवेश के समय वाहन के सभी इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल भाग भली भांति कार्य कर रहे हो। फोर (4) व्हील ड्राइव भली भांति कार्य कर रहा हो तथा स्पेयर टायर (स्टेपनी) तथा टूल बॉक्स आदि अच्छी हालत में हो।

10. सभी वाहनों पर कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा निर्धारित वाहन संख्या का स्टीकर/प्लेट लगाया जाना आवश्यक होगा।

11. वन क्षेत्र में भ्रमण के समय प्रत्येक वाहन चालक को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनना एवं अपना नाम पट्टिका (Name Plate) एवं परिचय पत्र साथ रखना आवश्यक होगा। नाम पट्टिका एवं परिचय पत्र इस प्रकार प्रदर्शित किया जाये कि उसे आसानी से देखा एवं पढ़ा जा सके।

12. सभी वाहनों में कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा निर्धारित जी0पी0एस0 तथा मॉनिटरिंग हेतु इसी प्रकार का डैश कैम अथवा अन्य कोई उपकरण जो निर्दिष्ट किया जाये, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

13. इन दिशा निर्देशों/नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी संबंधितों के विरूद्व कार्यवाही, जिसमें वाहन तथा उक्त वाहन के साथ पंजीकृत वाहन चालक का पंजीकरण अस्थाई रुप से स्थगित करना अथवा पूर्ण रुप से निरस्त करना सम्मिलित हो सकते है। ऐसे किसी मामले में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व का निर्णय अन्तिम होगा।

पंजीकरण की प्रक्रिया

1. पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने एवं उस हेतु आवेदन प्राप्त करने के संबंध में सूचना न्यूनतम दो समाचार पत्रों जिनका कार्बेट टाइगर रिजर्व एवं निकटवर्ती क्षेत्र में व्यापक वितरण हो, में अवश्य प्रकाशित की जायेगी। साथ ही उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड/वेबसाईट द्वारा भी प्रसारित किया जायेगा।
2. प्रत्येक श्रेणी में वाहनों का पंजीकरण एक व्यक्ति एक परमिट के सिद्धान्त पर ही किया जायेगा। यदि उक्त सिद्धान्त के आधार पर निर्धारित सीमा से कम वैध आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में एक व्यक्ति एक परमिट के सिद्धान्त को शिथिल करने हेतु इस कार्यालय से पृथक से निर्देश प्राप्त किये जायेंगे।
3. पंजीकृत वाहनों की अन्तिम सूची कार्बेट टाइगर रिजर्व की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
4. जिन आवेदकों को पंजीकरण हेतु पात्र नही पाया जाता है, उनके आवेदनों के निरस्त करने का विवरण भी वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
5. वाहन पंजीकरण के समय वाहन स्वामी को अपने मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा। अन्यथा की स्थिति में उनका वाहन पंजीकरण कार्बेट टाइगर रिजर्व में नही किया जायेगा।

6. वाहन पंजीकरण अहस्तांतरणीय है। यदि परमिट धारक द्वारा अपना परमिट किसी अन्य को हस्तांतरित किया जाता है तो वह कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में परिचालन हेतु स्वतः निरस्त माना जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि परमिट धारक वाहन संचालन हेतु इच्छुक नहीं हो तो वे अपना परमिट अपने परिवार के निकट सदस्य के नाम हस्तांतरित करने हेतु निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस हेतु परिवार की परिभाषा निम्नानुसार होगी–

   1. पति अथवा पत्नी।
   2. पुत्र अथवा पुत्री।

   इस प्रकार पंजीकरण का किसी पारिवारिक सदस्य को हस्तांतरण किया जाना किसी अधिकार के रूप में मान्य नहीं होगा। इस पर सम्यक निर्णय समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा अपने मुखर आदेश द्वारा यथासंभव आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंतर्गत किया जायेगा। इस संबंध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

7. पर्यटन संचालन हेतु वाहनों के नये मॉडल तथा नवीन उत्सर्जक मानकों के अनुरूप वाहनों को पंजीकरण में प्राथमिकता दी जायेगी।

8. वाहनों के पर्यटन जोन में संचालन हेतु विभिन्न दिशा–निर्देशों का उल्लेख टाइगर कंजरवेशन प्लान तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों में किया गया है। इस कार्यालय तथा निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा भी इस विषय में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये जाते हैं। इसका पूर्णतः अनुपालन करने के लिए वाहन स्वामी एवं चालक बाध्य होंगे।

9. उक्त दिशा–निर्देशों/नियमों की अवहेलना पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 2022 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

10. इन दिशा–निर्देशों/नियमों में इस कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार परिर्वतन अथवा संशोधन किया जा सकता है अथवा किसी विशेष परिस्थिति में छूट दी जा सकती है।

21/1/24

(डा0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 508/2025, सहबद्ध रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2746/2024, रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2793/2024 एवं रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 797/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 16.12.2025 को पारित आदेश के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 716/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक दिशा-निर्देशों में संशोधन :-

---

इस कार्यालय के पत्रांक 716/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। इन दिशा-निर्देशों के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 508/2025, सहबद्ध रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2746/2024, रिट याचिका संख्या (एम0एस0) 2793/2024 एवं रिट याचिका संख्या (एम0बी0) 797/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 16.12.2025 को अन्तरिम आदेश पारित किया है, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् हैं :-

8. ***"In the meantime, the last sentence of Clause iv of the impugned guidelines dated 21.09.2024 shall not be given effect to and petitioners shall be permitted to participate in the registration process; however, the selection shall be made strictly as per the Tiger Conservation Norms."***

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.12.2025 के समादर में इस कार्यालय के पत्र संख्या 716/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक दिशा-निर्देशों को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

<u>खुली श्रेणी</u>

iv. तृतीय श्रेणी – यदि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप वाहन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं तो उन सभी आवेदनकर्ताओं को आवेदन हेतु मौका दिया जायेगा, जिनके पास 15 वर्ष से पुराना वाहन न हो तथा जिनके पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन चलाने हेतु स्थायी परमिट हो। साथ ही वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध विगत 03 वर्षो में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो। इस श्रेणी के निर्धारण में मा0 वन मंत्री जी के पत्र संख्या 179/मंत्री/वी0आई0पी0/2024 दिनांक 29.05.2024 द्वारा निर्गत उक्त विषयक आदेश का पूर्णतयाः अनुपालन किया जायेगा।

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण करने के उपरांत निर्धारित सीमा से शेष बची संख्या से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर उनका निर्धारण चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु खुली लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

<u>के स्थान पर</u>

iv. *"तृतीय श्रेणी – यदि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुरूप वाहन पंजीकृत नहीं हो पाते हैं तो उन सभी आवेदनकर्ताओं को आवेदन हेतु मौका दिया जायेगा, जिनके पास 15 वर्ष से पुराना वाहन न हो तथा जिनके पास कार्बेट टाइगर रिजर्व में वाहन चलाने हेतु स्थायी परमिट हो। साथ ही वाहन स्वामी/चालक के विरूद्ध विगत 03 वर्षों में कोई गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई हो।*

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत वाहनों का पंजीकरण करने के उपरांत निर्धारित सीमा से शेष बची संख्या से अधिक वैध आवेदन प्राप्त होने पर उनका निर्धारण चयन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु खुली लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।"

उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 710/15-1 दिनांक 21.09.2024 द्वारा कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण विषयक शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- इस संशोधित दिशा-निर्देशों के क्रम में निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.12.2025 के अनुपालन में कार्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन संचालन हेतु हल्के वाहनों के पंजीकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(आर0 के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85–राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0–0135–2742884 ई–मेल–cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 2252 / 29–1 देहरादून दिनांक 01 ~~दिसम्बर~~ जनवरी 2025

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
5. निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, नैनीताल।
6. निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी तथा सहायक परिवहन अधिकारी, रामनगर, पौड़ी, अल्मोड़ा।

(आर0 के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।